

क्रमांक:प.16(1)वि.मा./2023

जयपुर, दिनांक 16 अगस्त, 2023

अधिसूचना

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान द्वारा पत्रांक एफ.4(2)(1)/नपा/रानिआ/2023/2636 दिनांक 25.07.2023 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ.4(2)(1)/नपा/रानिआ/ 2023/2838 दिनांक 04.08.2023 द्वारा राज्य के 9 जिलों की 10 नगरीय निकायों (सूची संलग्न) के उप चुनाव कराने हेतु चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। इस सन्दर्भ में भारत सरकार के गृह मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या 20/25/56 पब./1 दिनांक 8 जून, 1957 के साथ पठित, परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 (1881 का अधिनियम 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण के अधीन राजस्थान के राज्यपाल एतद्वारा घोषणा करते हैं कि राजस्थान के नगरीय निकायों के उक्त चुनाव हेतु मतदान होने की स्थिति में दिनांक 20.08.2023 (रविवार) को संलग्न सूची के अनुसार मतदान क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में परक्राम्य लिखित अधिनियम (NI Act) 1881 के तहत अवकाश रहेगा, ताकि उस क्षेत्र के मतदाता मतदान कर सकें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

राज्यपाल की आज्ञा से,

(बृजेश किशोर शर्मा)

निदेशक (बजट)

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक : एफ. 4(2)(1)नपा/रानिआ/ 2023/2993

दिनांक :- 16/08/2023

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) अजमेर, बांसवाडा, भरतपुर, बून्दी, चित्तौड़गढ़, जालोर, नागौर, सवाई माधोपुर एवं टोंक।

(नारायण सिंह)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव